Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

भू–हदबंदी वाद संख्या–17 / 1993–94
(भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 45 (ख) के अन्तर्गत

आदेश

प्रस्तुत भू–हदबंदी वाद दिनांक 22.11.1993 को तत्कालिन समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के प्रतिवेदन पर संदेह होने के कारण प्रारंभ की गई है। इन्हौने अपने आदेश फलक में लिखा है कि वर्ष 1974 तक वाद संख्या–83 / 1973–74 श्री इन्द्र नारायण सिंह के नाम से प्रारंभ किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा भूधारी परिवार के पास अधिशेष भूमि नहीं पाये जाने के कारण अपने आदेश दिनांक 17.10.1975 के द्वारा अभिलेख में कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तत्पश्चात ततकालीन जिला समाहर्त्ता, सहरसा ने अपने आदेश दिनांक 26.11. 1981 के द्वारा उक्त सिलिंग वाद को बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 45 (ख) अन्तर्गत भूधारी परिवार में तीन लड़कियों को सिलिंग युनिट दिये जाने के कारण वर्णित वाद को पुनर्जीवित कर नये सिरे से निष्पादन हेतु आदेश पारित किया। पुनः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा ने अपने आदेश दिनांक 23.08.1982 के द्वारा भूधारी के पास अधिशेष भूमि नहीं होने के कारण कार्रवाई स्थगित कर दी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के अनुसार भूधारी परिवार के पास कुल 104.70 एकड़ जमीन वर्ग 3, 4 एवं 5 की पायी गयी, जिसमें से भूधारी द्वारा स्वेच्छा से अभ्यर्पित 3.78 एकड़ तथा तीन लड़कियों, पुर्णिमा कुमारी (12.37 एकड़), किरण कुमारी (3.17 एकड़) तथा पुनम कुमारी (13.13 एकड़) कुल 28.67 एकड़ जमीन कार्यवाही से हटाने के बाद भूधारी परिवार के पास 72.25 एकड़ जमीन वर्ग 3, 4 एवं 5 की होने के कारण भूधारी परिवार को स्व0 इन्द्र नारायण सिंह की विधवा किशोरी देवी, भूधारी वशिष्ठ नारायण सिंह तथा उनके पुत्र प्रथमेश कुमार सिंह के लिए कुल तीन सिलिंग युनिट देकर अधिशेष भूमि नहीं पायी गई। उपर्युक्त तीनों लड़कियों द्वारा केबाला संख्या 12639, 12640, 12644 एवं 12651 दिनांक 01. 12.1961 एवं केबाला संख्या 3557 दिनांक 02.12.1969 के द्वारा खरीदी गई बतायी गयी है।

अंचल से प्राप्त भूधारी परिवार के वंशवृक्ष से पता चलता है कि उपर्युक्त तीनों लड़कियां वर्ष 1961 में नाबालिग एवं अविवाहित थी। फलतः यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त खरीदी गयी जमीन उनके पिता के द्वारा ही निजी राशि से खरीदी गयी थी। अतः उपर्युक्त छोड़ी गयी जमीन 28.67 एकड़ भूधारी परिवार की जमीन मानकर सिलिंग का निर्धारण किया जाना था, जो नहीं किया गया। श्री प्रथमेश सिंह, जिनको 09.09.1970 को बालिग माना गया है, की उम्र वंशवृक्ष में भूधारी के शपथ पत्र दिनांक 12.07.1975 के आधार पर 20 वर्ष बताया गया है, जिन्हे सोनवर्षा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की 1975 की निर्वाचक सूची में अंकित उम्र 25 वर्ष, जो प्रथमेश कुमार सिंह के स्थान पर राणा कुमार सिंह के नाम से मुद्रित है, जिसे उनका ही नाम बताया गया है। जन्म कुंडली तथा उच्च विद्यालय,

Serial Number and date of order. 1	Order and signature of officer 2	Note or action taken on order with date 3
	विराटपुर के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर बालिग मानते हुए एक सिलिंग युनिट स्वीकृत किया गया है। निर्वाचक सूची के अनुसार राणा कुमार सिंह (जिन्हे प्रथमेश कुमार सिंह बताया गया है) की उम्र 25 वर्ष दिखायी गयी है जबकि उनकी छोटी बहन किरण कुमारी का नाम निर्वाचक सूची में उनके नाम के उपर दिखाते हुए उनकी उम्र 26 वर्ष मुद्रित है। अंचल से प्राप्त वंशबृक्ष के अनुसार किरण कुमारी की उम्र 18 और प्रथमेश कुमार सिंह की उम्र पुछ–ताछ के आधार पर 20 वर्ष अंकित है। स्पष्ट है कि उम्र की गणना संदेहास्पद है। इन्होने उपरोक्त आलोक में भूधारी वशिष्ठ नारायण सिंह से कारणपृच्छा की मांग करने का आदेश दिया है कि क्यों नहीं वाद संख्या 83/1973–74 को पुनर्जीवित किया जाय। उपरोक्त आलोक में भूधारी द्वारा दिनांक 21.03.1994 को कारणपृच्छा दायर की गई जिसे दिनांक 30.05.1994 को समाहर्त्ता, सहरसा ने अस्वीकृत कर दिया। दिनांक 04.06.1994 को अभिलेख अपर समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। दिनांक 19.09.1994 को सुनवाई के क्रम में भूधारी के द्वारा राजस्व पर्षद के आदेश दिनांक 13.09.1996 की प्रति संलग्न करते हुए राजस्व पर्षद के आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई स्थगित करने का आदेश दिया गया। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई स्थगित की गई। पुनः वाद संख्या 16/1994 में राजस्व पर्षद के आदेश दिनांक 12.12.1995 के आलोक में वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की गई तथा समाहर्त्ता ने आदेश दिया कि धारा 10 (2) के अन्तर्गत ड्राफ्ट स्टेटमेंट तैयार करने का आदेश दिया गया। जिसके आलोक में दिनांक 22.09.1997 को ड्राफ्ट स्टेटमेंट तैयार किया गया। प्रश्नगत मामले में अपीलार्थी ने कारणपृच्छा में उल्लेख किया है कि प्रतिपक्षी के पिता इन्द्रदेव नारायण सिंह के विरूद्ध भूहदबी वाद संख्या 83/73.74 लाया गया था जिसमें प्रतिपक्षी के पिता के विरूद्ध 51.16 एकड़ भूमि के लिए वाद प्रारंभ की गई तथा एक दुसरा वाद संख्या 104/1973–74 राज्य बनाम बशिष्ठ नारायण सिंह 53.54 एकड़ के लिए प्रारंभ की गई। उक्त दोनो मामले में प्रतिपक्षी द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया जिसे सत्यापन के लिए अंचल कार्यालय भेजा गया। प्रतिपक्षी का आगे कथन है कि अंचल कार्यालय द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें 15 बीधा 04 कट्ठा 03 धुर अर्थात 12.37 एकड़ भूमि श्रीमती पुर्णिमा देवी पुत्री स्व0 इन्द्रदेव नारायण सिंह के हिस्से तथा दखल कब्जे में दिखाई गयी जो उन्हें बंटवारा वाद संख्या 58/1961 से प्राप्त हुआ। इनका आगे कथन है कि 15 बीधा 14 कट्ठा 05 धुर अर्थात 13.13 एकड़ भूमि पुनम कुमारी पुत्री बशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा विभिन्न केबाला दस्तावेज दिनांक 01.12.1961 के द्वारा प्राप्त हुआ तथा 05 बीधा 17 धुर भूमि किरण कुमारी पुत्री बशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा दिनांक 01.12.1961 को क्रय की गयी तथा सरकार को जमींनदार द्वारा पुर्व में ही सरकार को समर्पित किया गया। 3.78 एकड़ जमीन भी प्रतिपक्षी के हिस्से में गलत ढंग से दिखाई गयी है। प्रतिपक्षी के अनुसार अंचल अधिकारी के द्वारा पुर्व 104.70 एकड़ भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को दिनांक 21.06.1975, 24.06.1975 तथा 27.06.1975 को समर्पित की गई जिसमें पुर्णिमा	

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

देवी, पुनम कुमारी तथा किरण कुमारी की भूमि को भी अवैध एवं गलत रूप से जोड़कर दिखाया गया है। इन्हौने उक्त तीनों व्यक्तियों की भूमि के स्वामित्व स्वयं के पास होने से इंकार किया है। प्रतिपक्षी का आगे कथन है कि ड्राफ्ट प्रकाशन के उपरांत इन्हौने भूहदबंदी अधिनियम की धारा 10(3) के अन्तर्गत आपत्ति दर्ज कराई जिसमें यह उल्लेखित है कि बटवारा वाद संख्या 58/1961 में पुर्णिमा कुमारी (देवी) पुत्री इन्द्रदेव नारायण सिंह भी पक्षकार संख्या 13 थे तथा उनके पक्ष में भी आपसी सहमति के आधार पर अवर न्यायाधीश मधेपुरा ने दिनांक 11.12.1961/16.03.1962 को डिक्री निर्गत किया। इनके अनुसार उक्त बटवारा में 15 बीधा 04 कट्ठा 03 धुर (वास्तविक रकवा 14 बीधा 02 कट्ठा 17 धूर) पुर्णिमा कुमारी के पक्ष में निर्णीत किया गया है जो उनके दखल कब्जे में है।

इनका आगे कथन है कि नारायण प्रसाद सिंह पिता स्व0 बाबूनंद किशोर प्रसाद सिंह ग्राम बलैठा थाना बेलदौर जिला खगड़िया, पुनम कुमारी तथा किरण कुमारी के नाना थे जिन्होने शादी के उद्येश्य से अपनी नतनी पुनम कुमारी तथा किरण कुमारी को पर्याप्त राशि स्त्री धन के रूप में दिया। तत्पश्चात पुनम कुमारी ने उक्त स्त्री धन से 14 बीधा 16 कट्ठा 01 धुर विभिन्न व्यक्तियों से 01.12.1961 को खरीदी। इसी प्रकार किरण कुमारी ने भी स्त्री धन की राशि से 05 बीधा जमीन खरीदा जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा–ग्वालपाड़ा अंचल सोनवर्षा जिला सहरसा अन्तर्गत –

क्र0	विक्रेता	क्रेता	निबंधन की तिथि	रकवा (बी–क–धु)
01	दिगम्बर झा	पुनम कुमारी	01.12.1961	05–04–01
02	नथुनी कामत	पुनम कुमारी	01.12.1961	02–01–02
03	नित्यानंद सिंह	पुनम कुमारी	01.12.1961	07–09–13
04	कुनाय मंडल			00–19–09

कुल– 13.13 एकड़

इसी प्रकार किरण कुमारी के द्वारा गोकुल प्रसाद सिंह भादा मौजा अंचल सोनवर्षा में 01.12.1961 को ही 3.17 एकड़ भूमि क्रय की गयी। क्रय के पश्चात पुनम कुमारी तथा किरण कुमारी प्रश्नगत भूमि के दखल कब्जे में आयी तथा वर्तमान में भी इन्ही के दखल कब्जे में है। हाल सर्वे खतियान भी इन्ही के नाम से प्रकाशित है। इनका कथन है कि अंचल अधिकारी, सोनवर्षा ने अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को भूधारी इन्द्रदेव नारायण सिंह का वंशवृक्ष प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्हें भूहदबंदी की 06 इकाई अनुमान्य की गई है– 1. इन्द्रदेव नारायण सिंह, 2. वशिष्ठ नारायण सिंह 3. श्रीमती शशिमणि देवी 4. श्रीमती इन्दु देवी 5. रेणुका देवी 6. सीता देवी जो सभी इन्द्रदेव नारायण सिंह की पुत्र एवं पुत्रियां हैं। इसके अनुसार प्रतिपक्षी गण किस्म III के 150 एकड़ भूमि के हकदार हैं जबकि प्रतिपक्षी गण के पास मात्र 104.7 एकड़ जमीन

Serial Number and date of order. 1	Order and signature of officer 2	Note or action taken on order with date 3
	दर्शायी गई है। उनका आगे कथन है कि वाद सं0 83/73–74 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता नें जांचोपरांत 12.37 एकड़ भूमि पुर्णिमा कुमारी के हिस्से में पायी तथा पुनम कुमारी के हिस्से में 13.13 एकड़ भूमि एवं किरण कुमारी के हिस्से में 3.17 एकड़ भूमि पाया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता नें उपरोक्त भूमि पुर्णिमा कुमारी, पुनम कुमारी, किरण कुमारी की जमीन माना है तथा हाल सर्वे खतियान भी इन्ही के नाम से है। इनका कथन है कि पूर्व की गणना के आधार पर 3.78 एकड़ भूमि भूमिहिनों के बीच सरकार द्वारा वितरण भी किया जा चुका है। इनका आगे कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने दिनांक 23.08.1982 को भूधारी को 03 सिलिंग युनिट अनुमान्य किया है – 1. मसो0 किशोरी देवी पति स्व0 इन्द्रदेव नारायण सिंह 2. प्रतिपक्षी वशिष्ठ नारायण सिंह एवं 3. प्रथमेश कुमार सिंह जबकि उनके परिवार 10 सिलिंग युनिट धारित करने की अनुमान्यता रखता है। इनके अनुसार कुल धारित रकवा 104.7 एकड़ में सरकार को समर्पित की गई 3.78 एकड़ घटाने के प्श्चात 100.92 एकड़ जमीन बचता है जिसमें पुनः पुर्णिमा कुमारी की भूमि 12.37 एकड़, किरण कुमारी 3.17 एकड़ तथा पुनम कुमारी की 13.13 एकड़ घटाने के प्श्चात 72.25 एकड़ किस्म 03 की जमीन बचती है जबकि 03 सिलिंग युनिट के लिए 75 एकड़ भूमि अनुमान्य है। इनके अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दिनांक 23.08.1982 को प्रतिपक्षी के विरूद्ध भूहदबंदी वाद खारिज कर दिया है जिसमें प्रतिपक्षी के कोई अधिशेष भूमि नहीं माना है। उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार के द्वारा कोई अपील दायर नही की गई है तथा उपरोक्त आलोक में उन्होने प्रश्नगत कार्रवाई को आधारहीन एवं अवैध मानते हुए इसे खारिज करने का अनुरोध किया है। प्रतिपक्षी के उक्त जवाब के आलोक में विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि – (1). That, in this case claim of the O.P. that their daughter acquired the land in question through her maternal grandfather is matter of enquiry and on behalf of O.P. never filed any sufficient evidence in this regard. And on behalf of O.P. stated in his show cause that the above lands of three daughters they have also sold out of the above lands to several persons, and in revisional survey khata has been opened in thire 1st names. And further stated that in partition suit no. 58/61 as per decree Purnima Kumari got share in the land. (2). That, the claim of the O.P. that their dauthter acquired the land in question through her maternal grand father is a matter of enquiry for which it is a fit case for call for the fresh report from Anchal raj Sonbarsa. इस संबंध में अंचलाधिकारी सोनवर्षा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जो निम्न प्रकार है :– "समाहर्त्ता न्यायालय सिलिंग वाद संख्या–11/1997–98 राज्य बनाम वशिष्ठ नारायण सिंह से संबंधित वंशावली तथा उनके परिवार से संबद्ध भारित भूमि का ब्योरा जाँच	

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

के आधार पर निम्नलिखित है। इन्द्रदेव नारायण सिंह (सिलिंग वाद संख्या 83/1973–74) की पारिवारिक विवरणी निम्न है–

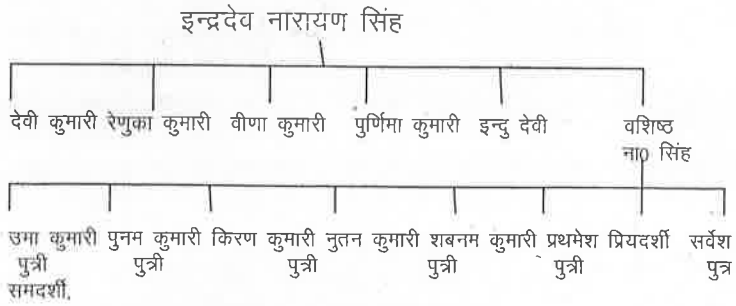

हाल सर्वे खतियान में वशिष्ठ नारायण सिंह एवं संबंधित लोगों के नाम अलग–अलग मौजे में धारित भूमि का ब्योरा निम्न है –

क्र0	ज्माबंदी रैयत	मौजा/थाना	खाता सं0/जमाबंदी सं0	कुल रकवा (ए0)	वर्तमान रकवा (ए0)
01	वशिष्ठ ना0 सिंह	भादा/24	250	31.55	29.39
02	इन्द्रदेव ना0 सिंह	पैता/26	39	4.14	04.14
03	नमन किशोर देवी	वैसा/23	39	19.70	18.76
04	नमन किशोर देवी	पैता/26	227	09.85	08.6275
05	पुर्णिमा कुमारी	ग्वालपाड़ा/6	199	11.84	08.87
06	पूनम कुमारी	ग्वालपाड़ा/6	197	11.52	04.64
07	किरण कुमारी	भादा/24	55	04.35	01.68
08	किरण कुमारी	भादा/24	56	0.22	0.22

उपरोक्त विषय में स्थानीय जाँच पड़ताल से यह बात प्रकाश में आयी कि श्रीमती पुर्णिमा देवी (पुत्री इन्द्रदेव ना0 सिंह) को भूमि बंटवारा सूट से प्राप्त है। पुनम कुमारी एवं किरण कुमारी (पुत्री वशिष्ठ ना0 सिंह) को भूमि नाना–नानी के द्वारा केबाला से प्राप्त है। हालांकि तत्काल कोई वैध साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ किन्तु हाल सर्वे खतियान के आधार पर पंजी 02 में उपरोक्त विवरण दर्ज है।"

उभय पक्षों को सुना अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। उपलब्ध साक्ष्य तथा सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में प्रतिपक्षी के पास कोई अधिशेष भूमि नहीं है तथा इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा भूहदबदी वाद संख्या 11/1982 में दिनांक 23.08.1982 को पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नही होती है। फलस्वरूप इस वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्ता,
सहरसा

समाहर्ता,
सहरसा

ज्ञापांक 391 /न्याया0, सहरसा, दिनांक 25.07.19

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25/07/19

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

25/07/19

A.M-11.30
29.07.19